<u>प्रतिवेद्य</u>

समक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय न्यायक्षेत्र

<u>आपराधिक अपील सं. 161/2020</u>

(SLP (क्रि.) सं. 3627 / 2018 से उद्भूत)

सरदार अली खान ... अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

के माध्यम से प्रधान सचिव

गृह विभाग एवं अन्य .... प्रत्यर्थी

<u>नि र्ण य</u>

<u>न्यायमूर्ति, आर. सुभाष रेड्डी</u>

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. यह आपराधिक अपील अभियुक्तों द्वारा दायर शिकायत वाद सं. 708/2012, जो कि थाना– कायमगंज, जिला–फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में भा.दं.सं. की धारा 418, 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत पंजीकृत है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आदेश 12 मार्च, 2018 दिनांकित के आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 5684/2016 द्वारा व्यथित हैं। उपर्युक्त आक्षेपित आदेश द्वारा, अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. हमने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण के सहायक अधिवक्ता श्री ओमानकुट्टन के.के. और श्री चेरिल डिसूजा और द्वितीय प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन राजन को सुना।

4. यह विवाद प्लॉट सं. 102 (0.101 हेक्टेयर मापते हुए) जिसे याहियापुर, पोस्ट कायमगंज, परगना कंपिल, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित प्लॉट सं. 102/2 के रूप में पुनर्नामांकित किया गया है, से संबंधित है। मूलतः उपर्युक्त भूखंड द्वितीय प्रत्यर्थी के पिता स्वर्गीय फहीम अली खान के स्वामित्व में था जो कि दिनांक 5 जनवरी, 1994 को पंजीकृत था और अपीलार्थी दिनांकित 29 दिसंबर, 1993 को पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा इस भूखंड की खरीद का दावा करता है। फहीम अली खान का दिनांक 3 दिसंबर, 1997 को निधन हो गया और द्वितीय प्रत्यर्थी स्वर्गीय फहीम अली खान के उत्तराधिकारियों में से एक है। फहीम अली खान की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मृत्यु पर द्वितीय प्रत्यर्थी को विरासत में मिली संपत्तियों के लिए दिनांक 16 नवंबर, 1998 को दाखिल खारिज किया गया था।

5. द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा मूल वाद सं. 160/2008 दायर किया गया जो वाद सं.160/2008 में फर्रुखाबाद जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट, कायमगंज फाइल पर लंबित है। उपर्युक्त वाद में द्वितीय प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित राहत का दावा किया है: –

> " **(ए)** यह कि आवेदक के मुकदमे को प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा देने के निर्देशों के साथ यह घोषित किया जाना चाहिए कि प्रतिवादी को विवादित संपत्ति के समस्त अथवा उसके किसी भी हिस्से से अवैध और जबरन आवेदक को निरूद्ध कर दिया जाना चाहिए और आवेदक को कब्जे और शांतिपूर्ण स्वामित्व के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
>
> **(एए)** बिक्री विलेख के डिक्री का निरस्तीकरण 29.12.1993 दिनांकित, जो दिनांक 25.01.1994 को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था और जिसकी फोटोप्रति के पृष्ठ सं. 65 पर 111–252 लोगों पर क्रम सं. 22 में उप रजिस्ट्रार कायमगंज के कार्यालय में, पत्र सं.1 में कवर सं. 1156 पृष्ठ सं. 85/93 क्रम सं. 22 पर दिनांक 20.01.1994 को दर्ज की गई थी, *चिली* ? ने प्रतिवादी के विरूद्ध और अपीलार्थी के पक्ष में आदेशित किया और उप रजिस्ट्रार कार्यालय को तदनुसार प्रविष्टियां बनाने को निर्देशित किया जाना चाहिए।
>
> **(बी)** यह कि प्रतिवादी आवेदक को वाद व्यय का संदाय करे।
>
> (सी) यह कि आवेदक को समुचित समझे जाने वाली कोई अन्य राहत अनुदानित हो सकती है।"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

6. उसी भूखंड के संबंध में, अपीलार्थी ने भी मूल वाद सं. 474/2008 में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा उपर्युक्त भूखंड पर किए गए निर्माणों का ध्वस्तीकरण करने से द्वितीय प्रत्यर्थी को रोक दिया गया। उक्त वाद फर्रुखाबाद जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट, कायमगंज की फाइल पर वाद सं. 474/2008 में भी लंबित है। पूर्वोक्त मुकदमों को संयोजित किया गया था और पक्षों द्वारा दायर किए गए अन्तरवर्ती आवेदनों में, विवाद में भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक सामान्य आदेश पारित किया गया था। अंतरिम आदेश के विरूद्ध, मामलों को अपीलार्थी द्वारा दायर सिविल प्रकीर्ण संख्याओं 30 और 27/2009 जबकि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा सिविल प्रकीर्ण संख्याओं 28 और 29/2009 दायर की गयी थी, को लिया गया था। यह कहा गया है कि उक्त सभी अपीलों का निर्णय अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा एक सामान्य आदेश द्वारा किया गया था और अपीलार्थी द्वारा दायर निषेधाज्ञा के लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी और द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध सिविल प्रकीर्ण रिट याचिकाओं के माध्यम से मामलों को आगे बढ़ाया गया था जिन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित बताया गया है और इसमें कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7. दिनांक 10 अप्रैल, 2012 को अपीलार्थी के भाई वसीम अली खान ने द्वितीय प्रत्यर्थी के विरूद्ध नामान्तरण फाइल से मूल बिक्री विलेख चुराने का आरोप लगाते हुए दं.प्र.सं. की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज की। दिनांक 20 सितंबर, 2012 को द्वितीय प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी और वसीम अली खान के विरूद्ध शिकायत दर्ज की है। ऐसे शिकायत पर, अपीलार्थी और अन्य के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 418, 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत कथित अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। प्रारंभतः, अपीलार्थी ने दोषमुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। तत्पश्चात, उसने उक्त कार्यवाही और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत आवेदन दायर किया है। दायर किए गए ऐसे आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को उसी प्रकार खारिज किया जाता है।

8. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात, हमने अभिलेख पर आक्षेपित आदेश और अन्य तथ्यों का अवलोकन किया।

9. प्रारम्भतः यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी ने दिनांक 29 दिसंबर, 1993 को बिक्री विलेख द्वारा प्रश्नगत भूखंड क्रय किया है, जो दिनांक 5 जनवरी, 1994 को पंजीकृत किया गया था। द्वितीय प्रत्यर्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 3 दिसंबर, 1997 को हो गई।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

यद्यपि पंजीकृत बिक्री विलेख 1994 का है, द्वितीय प्रत्यर्थी ने वाद दायर किया जो ओ.एस. सं. 160/2008 में लंबित है, केवल वर्ष 2008 में बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया गया कि उपरोक्त बिक्री विलेख अपीलार्थी और उसके भाई द्वारा अपने पिता के साथ किसी परिचित का उपयोग करके गलत और धोखे से निष्पादित किया गया था। द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा दायर वाद में हस्ताक्षर के प्रतिरूपण अथवा जालसाजी का कोई आरोप नहीं है। यह अपीलार्थी का मामला है कि यहां तक कि द्वितीय प्रत्यर्थी साक्षी के रूप में बिक्री विलेख का हस्ताक्षरकर्ता है। यद्यपि यह वाद वर्ष 2008 में दायर किया गया था और द्वितीय प्रत्यर्थी ने केवल वर्ष 2012 में आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए चुना है, जिसमें जालसाजी और प्रतिरूपण का आरोप लगाया गया है। बिक्री विलेख की वैधता के संबंध में, द्वितीय प्रत्यर्थी के दिवंगत पिता पर बिक्री विलेख प्राप्त करने के लिए मामले को सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष जब्त कर लिया गया और दीवानी न्यायालय के लिए यह तय करना है कि क्या अपीलार्थी द्वारा कोई धोखाधड़ी की गई है अथवा नहीं। दीवानी न्यायालय के समक्ष जब एक ही विवाद को लिया जाता है तो द्वितीय प्रत्यर्थी अपीलार्थी के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 418, 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत कथित अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकता है। यद्यपि, द्वितीय प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि दायर की गई

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

शिकायत को सीमा द्वारा बाधित नहीं किया जाता है, लेकिन साथ ही यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2012 में निजी शिकायत दर्ज करने का कोई कारण नहीं है। बिक्री विलेख, जिसके आधार पर अपीलार्थी द्वारा हकदारी और कब्जे का दावा किया जाता है जो दिनांक 5 जनवरी, 1994 को पंजीकृत किया गया था, वाद को लगभग 14 वर्ष पश्चात दायर किया गया है। दिनांक 24 अगस्त, 2008 को वाद दायर करने के पश्चात् भी यहाँ अपीलार्थी के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दायर करने में लगभग 4 वर्ष की देरी है। अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुमति देना, जिसे लगभग 87 वर्ष का बताया गया है, उपरोक्त तथ्यों के समूह में प्रक्रिया के दुरुपयोग के अतरिक्त और कुछ नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा दायर वाद में हस्ताक्षर के प्रतिरूपण और जालसाजी का कोई आरोप नहीं है। किसी भी घटना में, जब बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया वाद, सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, तो द्वितीय प्रत्यर्थी अपने मामले में सुधार करते हुए आपराधिक कार्यवाही में अपनी शिकायत का अनुशीलन नहीं कर सकता। गंभीर तथ्यात्मक विवाद जो दीवानी प्रकृति के हैं, के संबंध में, जिसके लिए दीवानी वाद लंबित हैं, द्वितीय प्रत्यर्थी को आपराधिक कार्यवाही में अपने शिकायत को अनुशीलन की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उपरोक्त कारणों से हमारा दृष्टिकोण इस विचार से है कि

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आपराधिक कार्यवाहियाँ इस अपील को रद्द करने की अनुमति देने हेतु अनुकूल है।

10. उपरोक्त कारणों से, इस आपराधिक अपील को अनुमति दी गयी और आक्षेपित आदेश को 12 मार्च, 2018 दिनांकित के आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन सं.5684/2016 में पारित किया गया था जिसे इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया है, परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा दायर किये गए आवेदन को दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत थाना–कायमगंज, जिला–फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की पत्रावली पर भा.दं.सं. की धारा 418, 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराध के लिए शिकायत वाद सं. 708/2012 में कार्यवाहियों को रद्द करने की अनुमति दी गई है और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित परिणामी आदेश भी रद्द हो गए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में अभिलिखित अवलोकनों और जाँच–परिणाम केवल दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत दायर आवेदन से उद्भूत इस अपील के निपटान के उद्देश्य से हैं। यह दीवानी न्यायालय के लिए है कि इस आदेश से अप्रभावित वह लंबित वादों में विभिन्न मुद्दों को अपनी गुणों के आधार पर तय करे।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(न्यायमूर्ति मोहन एम. शान्तानगौदर)

.....

(न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी)

.....

नई दिल्ली;

24 जनवरी, 2020

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।